संख्या– /111(3)/2017–04(एन0एच0)/2012 टी0सी0–1

प्रेषक,

ओम प्रकाश
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

PA to CS (HW)
07/03/18
463

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
07 MAR 2018
उत्तराखण्ड लो0 नि0 वि0

लोक निर्माण अनुभाग–3 देहरादूनः दिनांकः 06 मार्च, 2018

विषय–दिनांक 20.10.2017 को श्री केदारनाथ जी के दर्शन के दौरान मा0 प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार द्वारा की गयी घोषणा के अन्तर्गत श्री केदारनाथ मंदिर व उससे संलग्न क्षेत्र के सौन्दर्यीकरण के अन्तर्गत, प्रस्तावित कार्य योजनाओं के संचालन हेतु तात्कालिक रुप में धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, दिनांक 20.10.2017 को श्री केदारनाथ जी के दर्शन के दौरान मा0 प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार द्वारा की गयी घोषणा तथा तत्सम्बन्धी, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन पत्र दिनांक 07.2.2018 तथा तत्क्रम में दिनांक 07, 09 एवं दिनांक 12.2.2018 को मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न व्यय वित्त समिति की बैठक/कार्यवृत्त दिनांक 19.02.2018 (सं0 228 व 229) के अन्तर्गत, केदारनाथ धाम में रामबाड़ा से गरुड़चट्टी तक 3.90 किमी0 पैदल यात्रा मार्ग एवं प्रस्तावित पुनर्विकास, पुनर्निर्माण, सौन्दर्यीकरण व मार्ग निर्माण हेतु क्रमशः रु0 1055.63 लाख व रु0 1265.06 लाख अर्थात् कुल रु0 2320.69 लाख, के आगणन, जिनकी प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की प्रक्रिया पृथक से गतिमान है, के सापेक्ष, सम्बन्धित क्षेत्र की भौगोलिक एवं क्षेत्रीय परिस्थितियों व चारधाम यात्रा प्रारम्भ होने के दृष्टिगत् तात्कालिक रुप में उक्त कार्य योजनाओं के सम्पादन हेतु अग्रिम रुप में, मुख्यमंत्री राहत कोष (संशोधन) नियमावली 2014 के नियम–4(ग) के वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत मुख्यमंत्री राहत कोष से रु0 620.00 लाख (रुपये छः करोड़ बीस लाख मात्र) की धनराशि चैक सं0 911249 दिनांक 23.02.2018, जो EXECUTIVE ENGINEER, WORK UNIT DDMA RUDRAPRAYAG के नाम निर्गत किया गया है, को मूल रुप में प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त धनराशि का निम्न शर्तों के अधीन समयान्तर्गत उपयोग करते हुए कृत कार्यवाही/आख्या शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(1) प्रश्नगत योजनाओं के आगणन की प्रशासकीय एवं वित्तीय अद्यावधिक निर्गत नहीं की गयी है। उक्त धनराशि सम्बन्धित क्षेत्र की भौगोलिक एवं क्षेत्रीय प्रास्थिति तथा प्रस्तावित चारधाम यात्रा के दृष्टिगत् अग्रिम रुप में मुख्यमंत्री राहत कोष से इस प्रतिबन्ध के साथ निर्गत की गयी है कि विभाग द्वारा प्रश्नगत धनराशि की बजटीय व्यवस्था अपने विभागीय बजट/अनुपूरक मांग/किसी अन्य मद के माध्यम से करते हुए अग्रिम के रुप में दी गयी धनराशि की प्रतिपूर्ति मुख्यमंत्री राहत कोष में की जायेगी।

(2) उक्त योजनाओं की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा धनावंटन के उपरान्त, मुख्यमंत्री राहत कोष से कार्य संचालन हेतु अग्रिम रुप में स्वीकृत उक्त धनराशि का विधिवत् समायोजन किया जायेगा।

(3) स्वीकृत धनराशि का उपयोग, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत नियमों, बजट मैनुअल तथा वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।

(3) वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्रश्नगत धनराशि के उपयोग की प्रतिमाह, वित्तीय एवं भौतिक प्रगति उचित माध्यम से मण्डलायुक्त, गढ़वाल एवं शासन को सन्दर्भित की जायेगी।

संलग्न– रु0 620.00 लाख (रुपये छः करोड़ बीस लाख मात्र)
चैक सं0 911249 दिनांक 23.02.2018

भवदीय

(ओम प्रकाश)
अपर मुख्य सचिव।

I.T.

संख्याः 228 (1)/III(3)/2018 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. महालेखाकार (लेखा प्रथम), उत्तराखण्ड, ओबराय भवन, माजरा, देहरादून।
4. प्रमुख सचिव, वित्त/नियोजन, उत्तराखण्ड शासन।
5. शोध अधिकारी, योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
6. सम्बन्धित जिलाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. मुख्य अभियंता, लो0नि0वि0 गढ़वाल, देहरादून/पौड़ी।
9. सम्बन्धित अधीक्षण अभियंता, / EXECUTIVE ENGINEER, WORK UNIT DDMA RUDRAPRAYAG
10. वित्त अनुभाग–2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ/वित्त आयोग निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।
11. लोक निर्माण अनुभाग–01 एवं 02, उत्तराखण्ड शासन / गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(दिनेश कुमार पुनेठा)
अनु सचिव।